भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 966

दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

बिजली की मांग

†966. श्री विजय कुमार दूबे;
श्री बलभद्र माझीः
श्री देवेश शाक्यः
डॉ. भोला सिंहः
श्री अनूप मंजय धोत्रेः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री बिभु प्रसाद तराईः
श्री काली चरण सिंहः
श्री गोडम नागेशः
श्री अभिमन्यु सेठीः
श्री नव चरण माझीः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्रीमती लवली आनंदः
श्री महेश कश्यपः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में बिजली की कितनी अधिकतम मांग दर्ज की गई है और विशेषकर उत्तर प्रदेश में एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और तेलंगाना में इस मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्पादन क्षमता और आरक्षित मार्जिन संबंधी स्थिति क्या है;

(ख) उच्च मांग अवधि के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कमी और अनिर्धारित विद्युत कटौती को नियंत्रित करने और उसका प्रबंधन करने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करने और पर्याप्त आरक्षित क्षमता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसी राज्य, विशेषकर उत्तर प्रदेश में बार-बार आपूर्ति में अंतर या लोड शेडिंग की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एटा-कासगंज क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) ग्रिड की स्थिरता और आरक्षित मार्जिन को सुदृढ़ करने तथा ब्लैकआउट को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(च) राज्यों के साथ सही वास्तविक समय पर मांग पूर्वानुमान और बेहतर समन्वय के लिए क्या तकनीकी और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं;

(छ) आज की स्थिति के अनुसार झारखंड के चतरा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के कितने गांवों को अभी तक बिजली कनेक्शन प्राप्त नहीं हुए हैं और उनके विद्युतीकरण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ज) एटी एंड सी हानि में कमी लाने पर आरडीएसएस सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : देश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है। वर्तमान में देश की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 513.730 गीगावाट है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2014 से अब तक 289.607 गीगावाट नई उत्पादन क्षमता जोड़कर विद्युत की कमी की गंभीर समस्या का समाधान किया है, जिससे देश विद्युत की कमी से निकलकर विद्युत पर्याप्तता वाला देश बन गया है।

देश ने गत वर्ष 250 गीगावाट की अब तक की सर्वाधिक उच्चतम मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा एवं उच्चतम मांग के संदर्भ में देश की अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा अनुबंध-I पर दिया गया है। 'आपूर्ति की गई ऊर्जा' और 'ऊर्जा आवश्यकता' के बीच का अंतर वित्त वर्ष 2022-23 में 0.5% से घटकर वर्तमान वर्ष में 'शून्य' हो गया है। इसी प्रकार, पूरी न हुई उच्चतम मांग वर्ष 2022-23 में 4.0% से घटकर वर्तमान वर्ष में लगभग 'शून्य' रह गई है।

उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एवं ओडिशा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) की विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है। इन विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि 'आपूर्ति की गई ऊर्जा' 'ऊर्जा आवश्यकता' के अनुरूप रही है जिसमें केवल मामूली अंतर है जो आम तौर पर राज्य के पारेषण/ वितरण नेटवर्क में बाधाओं के कारण होता है। अतः विद्युत की कमी का अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

2. विद्युत समवर्ती विषय होने के कारण, विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/वितरण यूटिलिटी की जिम्मेदारी है। अतः उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराना संबंधित वितरण यूटिलिटी का दायित्व है। केंद्र सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्र संस्थापित कर तथा विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।

उच्च मांग की अवधि के दौरान देश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) जलविद्युत आधारित उत्पादन को इस प्रकार निर्धारित किया जा रहा है कि उच्च मांग अवधि की मांग को पूरा करने के लिए जल का संरक्षण किया जा सके।

(ii) उच्च मांग की अवधि के दौरान उत्पादन यूनिटों के नियोजित अनुरक्षण को न्यूनतम किया गया है।

(iii) ईंधन की कमी से बचने के लिए सभी तापविद्युत संयंत्रों को कोयले की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

(iv) उच्च विद्युत मांग की अवधि में एनटीपीसी सहित अन्य उत्पादकों के गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को शिड्यूल किया गया है।

(v) सभी जेनको, जिनमें आईपीपी तथा केंद्रीय उत्पादन स्टेशन शामिल हैं, को नियोजित अनुरक्षण या मजबूरन कटौती की अवधि को छोड़कर दैनिक आधार पर पूर्ण उपलब्धता बनाए रखने हेतु परामर्श दिया गया है।

(vi) विद्युत अधिशेष क्षेत्रों से विद्युत अभाव वाले क्षेत्रों तक विद्युत अंतरण की सुगमता के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना की गई है। विद्युत उत्पादन एवं मांग में वृद्धि के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रिड की क्षमता का निरंतर विस्तार किया जा रहा है।

(vii) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की निरंतर निगरानी की जा रही है ताकि अपेक्षित क्षमता का समय पर संवर्धन सुनिश्चित हो सके।

(viii) विद्युत बाजार में सुधार करते हुए पावर एक्सचेंजों में रीयल टाइम मार्केट (आरटीएम), ग्रीन डे अहेड मार्केट (जीडीएएम), ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) तथा हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त, डिस्कॉम द्वारा अल्पकालिक विद्युत की खरीद के लिए दीप पोर्टल (किफायती विद्युत मूल्य की खोज) के माध्यम से ई-बिडिंग एवं ई-रिवर्स नीलामी की व्यवस्था की गई है।

3. राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त रिजर्व क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

I. उत्पादन एवं भंडारण योजना:

(i) राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के अनुसार, वर्ष 2031-32 में संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 874 गीगावाट होने की संभावना है। उत्पादन क्षमता अनुमानित अधिकतम मांग से अधिक सुनिश्चित करने के लिए, सभी राज्यों ने सीईए के परामर्श से अपने "संसाधन पर्याप्तता योजनाएँ (आरएपी)" तैयार की हैं,जो गतिशील 10-वर्षीय रोलिंग योजनाएँ हैं और इसमें विद्युत उत्पादन के साथ-साथ विद्युत खरीद योजना भी शामिल है।

(ii) सभी राज्यों को उनकी संसाधन पर्याप्तता योजनाओं के अनुसार सभी प्रकार के उत्पादन स्रोतों से उत्पादन क्षमताओं के सृजन/अनुबंध की प्रक्रिया आरंभ करने की सलाह दी गई है।

(iii) विद्युत उत्पादन क्षमता की अभिवृद्धि के लिए, भारत सरकार ने निम्नलिखित क्षमता संवर्धन कार्यक्रम की शुरूआत की है:

क. वर्ष 2034-35 तक अनुमानित तापविद्युत (कोयला एवं लिग्नाइट) क्षमता की आवश्यकता लगभग 3,07,000 मेगावाट आँकी गई है, जबकि दिनांक 31.03.2023 तक संस्थापित क्षमता 2,11,855 मेगावाट थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने न्यूनतम 97,000 मेगावाट अतिरिक्त कोयला एवं लिग्नाइट आधारित तापविद्युत क्षमता संस्थापित करने की परिकल्पना की है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु कई पहलें पहले ही की जा चुकी हैं। अप्रैल 2023 से दिनांक 20.01.2026 तक लगभग 17,360 मेगावाट तापविद्युत क्षमता की कमीशनिंग की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान में 39,545 मेगावाट तापविद्युत क्षमता (जिसमें 4,845 मेगावाट संकटग्रस्त तापविद्युत परियोजनाएँ शामिल हैं) निर्माणाधीन है। 22,920 मेगावाट की क्षमता के लिए कान्ट्रैक्ट अनुबंध प्रदान किए जा चुके हैं और इसका निर्माण शेष है। इसके अलावा, देश में 24,020 मेगावाट कोयला एवं लिग्नाइट आधारित संभावित क्षमता की पहचान की गई है, जो योजना के विभिन्न चरणों में है।

ख. 12,973.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 4,274 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएँ योजना के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें वर्ष 2031-32 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ग. 6,600 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता निर्माणाधीन है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 7,000 मेगावाट की न्यूक्लियर क्षमता योजना एवं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है।

घ. नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अंतर्गत 1,57,800 मेगावाट (जिसमें 67,280 मेगावाट सौर ऊर्जा, 6,500 मेगावाट पवन ऊर्जा तथा 60,040 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है) निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्त, 48,720 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता (जिसमें 35,440 मेगावाट सौर ऊर्जा तथा 11,480 मेगावाट हाइब्रिड ऊर्जा शामिल है) योजना के विभिन्न चरणों में है और इसे वर्ष 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ङ. ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में, 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट घंटा की पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाएँ (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त, 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटा क्षमता की पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिन्हें अभी निर्माण हेतु लिया जाना शेष है। वर्तमान में 9,653.94 मेगावाट/26,729.32 मेगावाट घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता निर्माणाधीन है तथा 19,797.65 मेगावाट/61,013.40 मेगावाट घंटा बीईएसएस क्षमता निविदा चरण में है।

II. पारेषण योजना: अंतर-राज्यीय एवं अंत:राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना बनाई गई है तथा इसके कार्यान्वयन को उत्पादन क्षमता वृद्धि के अनुरूप समय-सीमा में किया जा रहा है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2031-32 की दस-वर्षीय अवधि के दौरान (220 केवी एवं उससे अधिक वोल्टेज स्तर पर) लगभग 1,91,474 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइनों तथा 1,274 जीवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता को जोड़े जाने की योजना है।

III. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का संवर्धन:

(i) दिनांक 30 जून, 2025 तक (इसके बाद जून, 2028 तक प्रतिवर्ष 25% की दर से छूट में क्रमिक कमी होगी) शुरू होने वाली परियोजनाओं, जून 2028 तक शुरू होने वाली एक ही स्थान पर स्थित बीईएसएस परियोजनाओं, जून 2028 तक निर्माण कार्य अवार्ड होने वाली हाईड्रो पीएसपी परियोजनाओं, दिसंबर 2030

तक शुरू होने वाली हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं तथा दिसंबर, 2032 तक शुरू होने वाली अपतटीय पवन परियोजनाओं के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री हेतु हेतु अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क को 100% माफ किया गया है।

(ii) ग्रिड से जुड़ी सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड तथा फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से विद्युत की खरीद हेतु टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के लिए मानक बोली दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईए) नियमित रूप से आरई विद्युत की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कर रही हैं।

(iv) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है।

(v) नवीकरणीय ऊर्जा के तीव्र विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पारेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु वर्ष 2032 तक की पारेषण योजना तैयार की गई है।

(vi) नवीकरणीय ऊर्जा की निकासी हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता निर्माण को सहायता प्रदान की गई है।

(vii) बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि और पारेषण सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सोलर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना संबंधी स्कीम लागू की जा रही है।

(viii) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान (पीएम-कुसुम), पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) एवं धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के अंतर्गत (जनजाति एवं पीवीटीजी आबादी/गांवों के लिए) नई सौर ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन तथा अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) स्कीम जैसी स्कीमें शुरू की गई हैं।

(ix) नवीकरणीय ऊर्जा की खपत को प्रोत्साहित करने हेतु नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) के बाद नवीकरणीय उपभोग दायित्व (आरसीओ) की ट्रैजेक्ट्री को वर्ष 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत सभी नामित उपभोक्ताओं पर लागू आरसीओ का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान होगा।

(x) "अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना हेतु कार्यनीति" जारी की गई है।

(xi) एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की बिक्री की सुगमता हेतु ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) की शुरूआत की गई है।

(xii) सौर पीवी मॉड्यूलों की आपूर्ति शृंखला के स्थानीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम प्रारंभ की गई है।

(ङ) : राष्ट्रीय ग्रिड की स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त भंडारण क्षमता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने सहायक सेवाएँ विनियम, 2022 अधिसूचित किए हैं। यद्यपि ग्रिड कोड में निर्धारित अनुसार प्रत्येक नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत राज्य स्तर पर पर्याप्त रिजर्व का अनुरक्षण ग्रिड सुरक्षा के लिए आवश्यक है तथापि ये विनियम क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर सहायक सेवाओं की खरीद, तैनाती तथा निपटान के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान करते हैं। प्रशासित तथा बाज़ार-आधारित दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से ये तंत्र प्रभावी आवृत्ति नियंत्रण को सक्षम बनाते हैं, ग्रिड आवृत्ति को 50 हर्ट्ज़ के निकट बनाए रखने में सहायता करते हैं, अनुमेय सीमाओं के भीतर आवृत्ति की पुनर्स्थापना को सुगम बनाते हैं तथा पारेषण जाम की समस्या का समाधान करते हैं, जिससे राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली का सुरक्षित, संरक्षित एवं विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित होता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, 73.3 गीगावाट की संस्थापित क्षमता वाले कुल 76 विद्युत संयंत्रों को ऑटोमैटिक ग्रिड कंट्रोल (एजीसी) के अंतर्गत सफलतापूर्वक जोड़ा गया है और उपलब्ध होने पर द्वितीय रिज़र्व सहायक सेवा (एसआरएएस) के अंतर्गत 24×7 नियमित रूप से संचालित हो रहे हैं।

तृतीयक रिज़र्व सहायक सेवा (टीआरएएस) के अंतर्गत रिजर्व की खरीद विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से डे-अहेड एंसिलरी मार्केट तथा रीयल-टाइम एंसिलरी मार्केट में की जाती है। टीआरएएस से संबंधित प्रावधानों को भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी), 2023 में भी सम्मिलित किया गया है, जिसे 1 अक्तूबर, 2023 से लागू किया गया है।

(च) : भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) की धारा 31.2(क) के अनुसार, प्रत्येक राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी) को प्रचालन योजना के अंतर्गत मांग आकलन करना अनिवार्य है, जिसमें संसाधन पर्याप्तता योजना के अंतर्गत राज्य पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) द्वारा किए गए मांग आकलन को विधिवत सम्मिलित किया जाता है। तदनुसार, सुरक्षित एवं विश्वसनीय ग्रिड संचालन को समर्थन देने के लिए अनेक समयावधियों दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा वार्षिक, में मांग पूर्वानुमान किया जाता है।

एलएलडीसी, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी के मध्य नियमित डेटा आदान-प्रदान एवं समन्वय हेतु एक संरचित तंत्र स्थापित किया गया है। आरएलडीसी अपने-अपने नियंत्रण क्षेत्रों के अंतर्गत राज्यों को डे-अहेड तथा रीयल-टाइम समयावधियों में संभावित भार-उत्पादन संतुलन के संबंध में नियमित रूप से अवगत कराते हैं।

(छ) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) लागू की है। **राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, देश के सभी अविद्युतीकृत संगणना गाँवों का 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण कर दिया गया।** डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत देश में कुल 18,374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया, **जिनमें से 2,583 गाँव झारखंड में, जिसमें चतरा संसदीय क्षेत्र भी सम्मिलित है, का विद्युतीकरण किया गया।**

भारत सरकार ने अक्तूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक अविद्युतीकृत घरों तथा शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना था। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान देश में लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें से 17,30,708 घर झारखंड में, जिसमें चतरा संसदीय क्षेत्र भी शामिल है, का विद्युतीकरण किया गया।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत शेष रह गए घरों के विद्युतीकरण हेतु राज्यों को निरंतर सहायता प्रदान कर रही है। अब तक देश में 13,65,139 घरों के विद्युतीकरण के लिए 6,521.85 करोड़ रू. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें झारखंड में 40,454 घरों के लिए 206.12 रू. करोड़ शामिल हैं।

(ज) : वर्तमान में चल रही संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) का उद्देश्य अखिल-भारतीय स्तर पर एटीएंडसी हानियों को 12-15% तक लाना तथा एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 2.84 लाख करोड़ रू. की परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें 1.53 लाख करोड़ रू. की वितरण अवसंरचना से संबंधित कार्य सम्मिलित हैं, जिनमें पुराने/क्षतिग्रस्त कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, लो-टेंशन एरियल बंच्ड (एलटी-एबी) केबल बिछाना, वितरण ट्रांसफार्मरों (डीटी)/उप-स्टेशनों का अपग्रेडेशन/बढ़ावा देना, कृषि फीडर पृथक्करण आदि शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत निधियां जारी करना वितरण यूटिलिटी के विभिन्न वित्तीय मानकों के सापेक्ष प्रदर्शन से जोड़ा गया है, जिनमें प्रमुख रूप से एटीएंडसी हानियाँ तथा एसीएस-एआरआर अंतर शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता, डीटी तथा फीडर स्तर पर स्मार्ट मीटरिंग आरडीएसएस के अंतर्गत परिकल्पित महत्वपूर्ण गतिविधियों में से है, जिससे डिस्कॉम को सभी स्तरों पर ऊर्जा प्रवाह के मापन के साथ-साथ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऊर्जा लेखांकन की सुविधा प्राप्त होती है। उचित और सटीक ऊर्जा लेखांकन उच्च हानि क्षेत्रों और चोरी संभावित क्षेत्रों की पहचान करने की कुंजी है, जिससे, उपयोगिताओं की बिलिंग और संग्रह दक्षता में काफी सुधार होता है, जिससे डिस्कॉम की एटीएंडसी हानि कम हो जाती है।

केंद्र तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से राष्ट्रीय स्तर पर वितरण यूटिलिटी की एटीएंडसी हानि वित्त वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 15.04% हो गई है।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 966

अनुबंध-I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के दौरान ऊर्जा और उच्चतम के संदर्भ में देश में अखिल भारतीय विद्युत आपूर्ति की स्थिति का विवरण

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा [मिलियन यूनिट (एमयू) में]				उच्चतम [मेगावाट में]			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा		उच्चतम मांग	उच्चतम आपूर्ति	मांग पूरी नहीं हुई	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2022-23	15,13,497	15,05,914	7,583	0.5	2,15,888	2,07,231	8,657	4.0
2023-24	16,26,132	16,22,020	4,112	0.3	2,43,271	2,39,931	3,340	1.4
2024-25	16,93,959	16,92,369	1,590	0.1	2,49,856	2,49,854	2	0.0
2025-26 (दिसंबर तक, 2025)	12,85,913	12,85,553	360	0.0	2,42,773	2,42,493	280	0.1

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण:

(आंकड़े एमयू में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - मार्च, 2023				अप्रैल, 2023 - मार्च, 2024			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,788	1,788	0	0.0	1,789	1,789	0	0.0
दिल्ली	35,143	35,133	10	0.0	35,501	35,496	5	0.0
हरियाणा	61,451	60,945	506	0.8	63,983	63,636	348	0.5
हिमाचल प्रदेश	12,649	12,542	107	0.8	12,805	12,767	38	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	19,639	19,322	317	1.6	20,040	19,763	277	1.4
पंजाब	69,522	69,220	302	0.4	69,533	69,528	5	0.0
राजस्थान	1,01,801	1,00,057	1,745	1.7	1,07,422	1,06,806	616	0.6
उत्तर प्रदेश	1,44,251	1,43,050	1,201	0.8	1,48,791	1,48,287	504	0.3
उत्तराखंड	15,647	15,386	261	1.7	15,644	15,532	112	0.7
उत्तरी क्षेत्र	**4,63,088**	**4,58,640**	**4,449**	**1.0**	**4,76,852**	**4,74,946**	**1,906**	**0.4**
छत्तीसगढ़	37,446	37,374	72	0.2	39,930	39,872	58	0.1
गुजरात	1,39,043	1,38,999	44	0.0	1,45,768	1,45,740	28	0.0
मध्य प्रदेश	92,683	92,325	358	0.4	99,301	99,150	151	0.2
महाराष्ट्र	1,87,309	1,87,197	111	0.1	2,07,108	2,06,931	176	0.1
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,018	10,018	0	0.0	10,164	10,164	0	0.0
गोवा	4,669	4,669	0	0.0	5,111	5,111	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**4,77,393**	**4,76,808**	**586**	**0.1**	**5,17,714**	**5,17,301**	**413**	**0.1**
आंध्र प्रदेश	72,302	71,893	410	0.6	80,209	80,151	57	0.1
तेलंगाना	77,832	77,799	34	0.0	84,623	84,613	9	0.0
कर्नाटक	75,688	75,663	26	0.0	94,088	93,934	154	0.2
केरल	27,747	27,726	21	0.1	30,943	30,938	5	0.0
तमिलनाडु	1,14,798	1,14,722	77	0.1	1,26,163	1,26,151	12	0.0
पुद्दुचेरी	3,051	3,050	1	0.0	3,456	3,455	1	0.0
लक्षद्वीप	64	64	0	0.0	64	64	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**3,71,467**	**3,70,900**	**567**	**0.2**	**4,19,531**	**4,19,293**	**238**	**0.1**
बिहार	39,545	38,762	783	2.0	41,514	40,918	596	1.4
डीवीसी	26,339	26,330	9	0.0	26,560	26,552	8	0.0
झारखंड	13,278	12,288	990	7.5	14,408	13,858	550	3.8
ओडिशा	42,631	42,584	47	0.1	41,358	41,333	25	0.1
पश्चिम बंगाल	60,348	60,274	74	0.1	67,576	67,490	86	0.1
सिक्किम	587	587	0	0.0	544	543	0	0.0
अंडमान-निकोबार	348	348	0	0.12914	386	374	12	3.2
पूर्वी क्षेत्र	**1,82,791**	**1,80,888**	**1,903**	**1.0**	**1,92,013**	**1,90,747**	**1,266**	**0.7**
अरुणाचल प्रदेश	915	892	24	2.6	1,014	1,014	0	0.0
असम	11,465	11,465	0	0.0	12,445	12,341	104	0.8
मणिपुर	1,014	1,014	0	0.0	1,023	1,008	15	1.5
मेघालय	2,237	2,237	0	0.0	2,236	2,066	170	7.6
मिजोरम	645	645	0	0.0	684	684	0	0.0
नागालैंड	926	873	54	5.8	921	921	0	0.0
त्रिपुरा	1,547	1,547	0	0.0	1,691	1,691	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**18,758**	**18,680**	**78**	**0.4**	**20,022**	**19,733**	**289**	**1.4**
अखिल भारत	**15,13,497**	**15,05,914**	**7,583**	**0.5**	**16,26,132**	**16,22,020**	**4,112**	**0.3**

पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् 2025-26 (दिसंबर, 2025 तक) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण:

(आंकड़े एमयू में)

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2024 - मार्च, 2025				अप्रैल, 2025 - दिसंबर, 2025			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्तित ऊर्जा	अनापूर्तित ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,952	1,952	0	0.0	1,509	1,509	1	0.0
दिल्ली	38,255	38,243	12	0.0	31,006	30,999	7	0.0
हरियाणा	70,149	70,120	30	0.0	55,932	55,867	65	0.1
हिमाचल प्रदेश	13,566	13,526	40	0.3	10,329	10,294	36	0.3
जम्मू एवं कश्मीर	20,374	20,283	90	0.4	14,874	14,862	12	0.1
पंजाब	77,423	77,423	0	0.0	60,827	60,786	41	0.1
राजस्थान	1,13,833	1,13,529	304	0.3	82,763	82,763	0	0.0
उत्तर प्रदेश	1,65,090	1,64,786	304	0.2	1,29,329	1,29,304	26	0.0
उत्तराखंड	16,770	16,727	43	0.3	12,630	12,582	49	0.4
उत्तरी क्षेत्र	**5,18,869**	**5,17,917**	**952**	**0.2**	**4,00,413**	**4,00,176**	**236**	**0.1**
छत्तीसगढ़	43,208	43,180	28	0.1	31,502	31,494	8	0.0
गुजरात	1,51,878	1,51,875	3	0.0	1,17,364	1,17,364	0	0.0
मध्य प्रदेश	1,04,445	1,04,312	133	0.1	75,081	75,073	8	0.0
महाराष्ट्र	2,01,816	2,01,757	59	0.0	1,48,848	1,48,839	9	0.0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10,852	10,852	0	0.0	8,439	8,439	0	0.0
गोवा	5,411	5,411	0	0.0	4,086	4,086	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	**5,28,924**	**5,28,701**	**223**	**0.0**	**3,95,551**	**3,95,526**	**25**	**0.0**
आंध्र प्रदेश	79,028	79,025	3	0.0	59,543	59,537	6	0.0
तेलंगाना	88,262	88,258	4	0.0	61,062	61,055	7	0.0
कर्नाटक	92,450	92,446	4	0.0	67,547	67,538	9	0.0
केरल	31,624	31,616	8	0.0	22,949	22,946	2	0.0
तमिलनाडु	1,30,413	1,30,408	5	0.0	99,901	99,892	10	0.0
पुदुचेरी	3,549	3,549	0	0.0	2,691	2,688	3	0.1
लक्षद्वीप	68	68	0	0.0	54	54	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	**4,25,373**	**4,25,349**	**24**	**0.0**	**3,13,730**	**3,13,692**	**38**	**0.0**
बिहार	44,393	44,217	176	0.4	37,294	37,280	13	0.0
डीवीसी	25,891	25,888	3	0.0	18,595	18,592	3	0.0
झारखंड	15,203	15,126	77	0.5	11,735	11,731	5	0.0
ओडिशा	42,882	42,858	24	0.1	34,064	34,059	5	0.0
पश्चिम बंगाल	71,180	71,085	95	0.1	56,878	56,846	32	0.1
सिक्किम	574	574	0	0.0	382	382	0	0.0
अंडमान-निकोबार	425	413	12	2.9	318	301	17	5.5
पूर्वी क्षेत्र	**2,00,180**	**1,99,806**	**374**	**0.2**	**1,58,993**	**1,58,935**	**58**	**0.0**
अरुणाचल प्रदेश	1,050	1,050	0	0.0	909	909	0	0.0
असम	12,843	12,837	6	0.0	10,973	10,973	1	0.0
मणिपुर	1,079	1,068	10	0.9	863	861	3	0.3
मेघालय	2,046	2,046	0	0.0	1,542	1,542	0	0.0
मिजोरम	709	709	0	0.0	559	559	0	0.0
नागालैंड	938	938	0	0.0	772	772	0	0.0
त्रिपुरा	1,939	1,939	0	0.0	1,523	1,523	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	**20,613**	**20,596**	**16**	**0.1**	**17,228**	**17,224**	**3**	**0.0**
अखिल भारत	**16,93,959**	**16,92,369**	**1,590**	**0.1**	**12,85,913**	**12,85,553**	**360**	**0.0**
